न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 136/2009

राज्य – प्रति – तारकेश्वर

दिनांक : 21.12.2021 **पी.डब्ल्यू –01**

मैं, **छबिनाथ यादव पुत्र स्व0 विंदेश्वरी यादव**, उम्र लगभग 62 वर्ष, हाल पता निवासी ग्राम मिश्रपुरा थाना–चौबेपुर, जिला–वाराणसी, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

दिनांक 02.10.2009 को मैं, कास्टेबल के पद पर थाना जमानियां में कस्बा चौकी, जिला–गाजीपुर में तैनात था। उस दिन मैं, एस0आई शिवचंद राम व कांस्टेबल सुरेश कुमार के साथ देखभाल क्षेत्र ग्राम बरूइन से कस्बा जमानियां के तरफ समय करीब 12:30 बजे आ रहे थे कि सड़क से मेन रोड गाजीपुर–चंदौली जाने वाली मोड़ के पास एक व्यक्ति जमानियां कस्बा के तरफ आता दिखायी दिया तथा हम पुलिस वालों को अचानक देखकर पीछे मुड़ कर भागने लगा। उसे करीब 25–30 कदम जाते–जाते जमानियां रोड पर सड़क के बायें तरफ पकड़ लिया गया। नाम, पता व भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम तारकेश्वर यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी–बरूइन थाना–जमानियां, जनपद–गाजीपुर बताया और कहा कि मेरे पास नाजायज हेरोइन है इसी के डर से भाग रहा था।

तब उससे कहा गया कि तुम्हारा कानूनी अधिकार है कि तुम्हारी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। तो उसने कहां कि जब आप लोग पकड़ ही लिये है तो मेरी जामा तलाशी आप लोग ही ले लिजिए। मुझे आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है।

तब उससे सहमति पत्र लेकर हम पुलिस वाले एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर पूर्ण विश्वास हो गया कि किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं है। तब पकड़े गये व्यक्ति का जामा तलाशी लिया गया तो उसके पहने हुए पैंट के दाहिने पाकेट से एक सफेद रंग की पोलिथिन में भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ जिसे सुंघने पर हेरोइन जैसी गंध आ रही थी। तब उससे हेरोइन रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो वह नहीं दिखा सका। तब कांस्टेबल सुरेश सिंह से जमानिया कस्बे में भेज कर सुनारी तुला मंगा कर तौला किया गया तो प्लास्टिक मोमिया को छोड़कर 50 ग्राम हेरोइन नाजायज बरामद हुआ। उसे उसी प्लास्टिक थैली में रख कर शिवदाता जाफरानी पत्ती के डिब्बे में रख सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया।

फर्द मेरे द्वारा मौके पर ही एस.आई. शिवचंद राम के बोलने पर लिखा था। व पढ़कर सुनाकर सभी के हस्ताक्षर बनवाया गया। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी वह फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ को देख कर गवाह ने बने अपने लेख व हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा X X X X X X X X

ग्राम बरूइन से घटना स्थल जहां मुल्जिम पकड़ गया की दूरी 500 मीटर है। मुल्जिम हम लोगों को देख कर भागा था। मुल्जिम को दौड़ाकर दरोगा जी ने पकड़ा था। दरोगा जी के पकड़ने पर मुल्जिम मार के डर के मारे हेरोइन की पोटली दरोगा जी को दे दिया। उसको तौलने के लिए सुनारी तुला कस्बा जमानियां से कां0 सुरेश लाये थे। जहां पकड़ा गया वहां से कस्बा जमानियां 600–700 मीटर दूर है। जहां हम लोग अभियुक्त को पकड़े वहां पब्लिक के लोग आते जाते है। लेकिन उनमें से कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था। पब्लिक के लोग जो आते जाते थे उनका नाम पता नही पूछा गया था। हेरोइन का वजन दरोगा जी ने तौला था। तौलते समय मैंने देखा था। मैं यह नहीं बता सकता कि 10–10 ग्राम, 20–20 ग्राम या 5–5 ग्राम के कितने बाट से तौला था। उस हेरोइन में से नमूना के लिए कोई हेरोइन नहीं निकाली गयी थी। जर्दा का डिब्बा जिसमें हेरोइन को रख कर सील मुहर किया गया वो किस दुकान से आया मुझे नहीं मालूम। थाने पर जो माल लाया गया था उस पर एस.एच.ओ. जमानिया का हस्ताक्षर नहीं है। हेरोइन के बरामदगी व गिरफतारी की कोई लिखित सूचना दरोगा जी ने किसी उच्चाधिकारी को नहीं दिया था।

यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया वैसा कोई घटना नहीं हुई।

यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त तारकेश्वर को उसके घर से पकड़ कर गांव की रंजिस के कारण थाने जमानिया ले गये।

यह भी कहना गलत है कि हेरोइन की फर्जी बरामदगी दिखा कर मुल्जिम का चालान किया गया।

यह भी कहना गलत है कि फर्द की सारी लिखा पढ़ी थाने पर किया गया। पुलिस विभाग में होने के नाते मैंने आज गलत बयान दिया है।

सुनकर तस्दीक किया बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।